कार्यालयः जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरबा, जिला–कोरबा (छ0ग0)

:: आदेश ::

कमांकः 63 /दो–11–01/2017 कोरबा, दिनांक अप्रैल 2018

छ0ग0 शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के पत्र क. 3045/899/21–ब/छ.ग./16 रायपुर दिनांक 21.03.2016 एवं माननीय उच्च न्यायालय छ0ग0 बिलासपुर के ज्ञापन क.3075/तीन–18–27/2000/डी0ई0/बिलासपुर दिनांक 12.4.2016 के द्वारा जिला स्थापना कोरबा में (संविदा) पद पर कोर्ट मैनेजर के स्टाफ स्टेनोग्राफर 1 एवं क्लर्क (सहायक ग्रेड–03) 1 पद की पूर्ति हेतु स्वीकृति उपरांत गठित चयन समिति द्वारा लिये गये लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में योग्य पाये गये उम्मीदवारों को अनुमोदन उपरांत निम्नलिखित चयनित उम्मीदवारों को अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष के लिए निम्नलिखित शर्तो के अधीन नियुक्ति किया जाता है।

कोर्ट मैनेजर के स्टाफ स्टेनोग्राफर (संविदा)

संविदा वेतनमान एकमुश्त–10000/–रू.

क.	चयनित आवेदक का नाम	पिता/पति का नाम	निवास का पता	श्रेणी
1	श्री कैलाश राम	स्व. श्री शीतल राम	ग्राम खैरवाही पो. लाटाबोड तह. व जिला बालोद छ0ग0	अनारक्षित (अन्य पिछड़ा वर्ग)

कोर्ट मैनेजर के स्टाफ क्लर्क/सहायक गेड–03 (संविदा)

संविदा वेतनमान एकमुश्त–9000/–रू.

1	श्री गौरीशंकर कुम्हार	श्री रमेश्वर प्रसाद	ग्राम बांधापाली पोस्ट पिड़िया तह. करतला जिला कोरबा छ0ग0	अनारक्षित (अन्य पिछड़ा वर्ग)

–: नियुक्ति की शर्ते :–

1. चयनित उम्मीदवार शैक्षणिक एवं अन्य योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित प्रति तथा अवलोकनार्थ मूलप्रति एवं कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा। यह पाये जाने पर कि उन्होंने अपने आवेदन में और उसके साथ प्रस्तुत प्रमाण पत्रों में मिथ्या तथ्यों का समावेश किया है या कोई तथ्य छिपाया है अथवा विज्ञापन में उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता के अनुसार अर्हता नहीं रखते हैं, उक्त स्थिति में किसी भी स्तर पर उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जावेगी।
2. चयनित उम्मीदवारों को जिला मेडिकल बोर्ड से एक माह के भीतर स्वास्थ्य परीक्षण कराकर इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह शासकीय सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डालने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त है। यदि वह स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया तो उसकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
3. चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति संविदात्मक पदों पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 12 माह के लिए होगी। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी, उनका कार्य का स्तर संतोषप्रद न होने, किसी अवैधानिक गतिविधि में लिप्त पाये जाने पर निर्धारित अवधि के पूर्व भी आवेदक की सेवायें कभी भी बिना कोई कारण बताये बिना सूचना के समाप्त की जा सकेगी।
4. चयनित उम्मीदवार को सेवा के दौरान नियुक्तकर्ता प्राधिकारी से अनुमति लेकर अन्य किसी स्थापना में आवेदन कर सकता है।
5. नियुक्त कर्मचारी को नियुक्ति आदेश जारी होने के अधिकतम 15 दिनों के भीतर जिला एवं सत्र न्यायालय कोरबा छ0ग0 में अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर नियुक्ति आदेश निरस्त माना जावेगा।

13/04/2018

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोरबा (छ0ग0)

पृष्ठां.कमांकः /दो–11–01/2017 कोरबा, दिनांक अप्रैल 2018

प्रतिलिपिः–

1. श्री कैलाश राम पिता स्व. श्री शीतल राम ग्राम खैरवाही पो. लाटा बोड तह. व जिला बालोद छ0ग0
2. श्री गौरीशंकर कुम्हार पिता श्री रमेश्वर प्रसाद ग्राम बांधापाली पो. पिड़िया तह. करतला जिला कोरबा छ0ग0
3. लेखापाल कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरबा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
4. सहायक प्रोग्रामर कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरबा की ओर न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

17/04/2018

जिला एवं सत्र न्यायाधीश

कोरबा (छ0ग0)